न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/69/2021

ज्ञानीराम पुत्र बद्रीनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम विरासना थाना ऑधी जिला जयपुर राज0

.....प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन पिकअप आर जे 32 जी बी 1960 वमुकदमे एफ.आई.आर. संख्या 0144/21 अन्तर्गत धारा 5,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) थाना कैथवाडा, भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री भोलासिंह सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांक 16.02.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी का वाहन पिकअप आर जे 32 जी बी 1960 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है तथा वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त वाहन गलत तरीके से जब्त कर थाना कैथवाडा में खडा किया हुआ है। जिसके खुले में खडे रहने से खराब होने, वाहन के इन्जन के सीज होने एवं टायर ट्यबों के खराब होने का पूर्ण अन्देशा है। प्रकरण की ट्रायल में काफी समय लगेगा जबकि उक्त वाहन के बंद हिरासत में रहने से प्रार्थी को अपने कार्यों में काफी असुविधा का सामना करना पड रहा है। पुलिस थाना कैथवाडा में उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नही किया है और ना ही किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहा है। प्रार्थी के द्वारा किसी गौवंश का परिवहन

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

किसी आपरधिक कृत्य के लिए नही कराया जा रहा था। प्रार्थी अपने वाहन को सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना भली भांति करेगा तथा अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन पिकअप आर जे 32 जी बी 1960 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना कैथवाडा से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना कैथवाडा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.12.2021 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि जब्तशुदा वाहन पिकअप आर जे 32 जी बी 1960 का स्वामी है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। थाना कैथवाडा में गलत तरीके से व खुले में खडे रहने से वाहन के इन्जन सीज होने व टायर ट्यूबों के खराब होने का पूर्ण अन्देशा है। प्रकरण में भी पुलिस थाना कैथवाडा को कोई आवश्यकता नही है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है जो कि क्षमा के योग्य नही है। वाहन स्वामी के पास में कोई रवन्ना या परमिट नही था जिससे कि प्रार्थी यह सिद्ध कर सके कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की गौकशी में नही किया जा रहा हो। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना कैथवाडा की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना कैथवाडा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है। मौके पर जब्त वाहन पिकअप आर जे 32 जी बी 1960 जो कि गौवंश को गौकशी के लिए राजस्थान से हरियाणा की तरफ ले जा रहा था, जिसमें 3 गाय व 2 बछडा निर्दयतापूर्वक भरे हुये थे, जिनके पैर व मुंह रस्सियों से बुरी तरह निर्दयता पूर्वक बंधे हुये थे। पिकअप वाहन का स्वामी ज्ञानीराम पुत्र बद्रीराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का मौहल्ला विरासना थाना ऑधी जिला जयपुर तथा वही दिनांक 14.11.2021 को वाहन का चालक भी था। इनसे राजस्थान से हरियाणा ले जाने बाबत अनुज्ञापत्र चाहा तो नही होना बताया। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व अनैतिक रूप से गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है जो कि अमानवीय कृत्य है। प्रार्थी द्वारा

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नही किये जो उसके कथनों को सिद्ध करते हो। प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन पिकअप आर जे 32 जी बी 1960 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन पिकअप आर जे 32 जी बी 1960 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी कैथवाडा (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर